लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 603
06 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

समर्थ योजना

603. श्री कृष्णपाल सिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समर्थ योजना की नामांकन, पाठ्यक्रम पूरा करने और योजना के सफल कार्यान्वयन के संबंध में अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) समर्थ योजना के तहत अब तक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेशम समग्र योजना की प्रगति और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वैश्विक उपभोक्ता बाजार को आकर्षित करने के लिए रेशम समग्र योजना और एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत शाकाहारी रेशम या हानि मुक्त रेशम को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय की एक मांग आधारित और प्लेसमेंट-उन्मुख व्यापक कौशल कार्यक्रम है। समर्थ के क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): समर्थ के तहत निधि का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम की भौतिक प्रगति के आधार पर सीधे क्रियान्वयन भागीदारों (आईपी) को जारी की जाती है। समर्थ योजना के तहत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश भर में दिनांक 29.11.2023 तक 293.10 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

(ग): भारत सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 'सिल्क समग्र' योजना क्रियान्वित की और वर्तमान में देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 'सिल्क समग्र-2' योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) को रेशम कीट अर्थात मलबरी, तसर, एरी और मुगा से उत्पन्न रेशम के विकास के लिए अधिदेशित किया गया है। वीगन सिल्क अथवा हानि रहित सिल्क विशेष रूप से सीएसबी के दायरे में नहीं आता है। तथापि, एरी सिल्क, जिसे भारत के 'वान्या सिल्क्स' ब्रांड के तहत वैश्विक बाजार में लोकप्रिय किया जा रहा है, को हानि रहित रेशम माना जा सकता है, क्योंकि रेशम यार्न को प्यूपा को बिना मारे एरी कोकून से बनाया जाता है। भारत सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से देश में एरी सिल्क सहित रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए "सिल्क समग्र" और "उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)" जैसी केंद्रीय योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इन योजनाओं के तहत, एरी उत्पादन के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, विस्तार और रेशमकीट बीज सहायता प्रदान करने के अलावा, खेत से फ्रैब्रिक तक विभिन्न महत्वपूर्ण इंटरवेंशन के लिए संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों के माध्यम से रेशम उत्पादन हितधारकों को सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध-I

समर्थ की प्रगति का विवरण

कार्यान्वयन साझेदारों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	शामिल किए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या	समूहों में नामांकित लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षित एवं मूल्यांकित)उत्तीर्ण (लाभार्थियों की संख्या
176	261	35	3,77,696	#2,43,313

कोविड-19 के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण बंद हो गया और 47,232 लाभार्थी बाहर हो गए। इसके अतिरिक्त, 56,105 को उपस्थिति की कमी, प्रशिक्षण पूरा न करने आदि के कारण बाहर कर दिया गया है।

अनुबंध-II

सिल्क समग्र की प्रगति का विवरण

भौतिक

#	योजना/विवरण	इकाई	सिल्क समग्र (2017-21)	सिल्क समग्र-2		
				2021-22	2022-23	2023-24 (अक्टूबर-23 तक)
1	क. शुरू की गईं नई अनुसंधान परियोजनाएँ	संख्या	145	35	35	5
	ख. संपन्न अनुसंधान परियोजना	संख्या	170	38	38	14
	ग. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	57479	12163	15172	5068
2	मलबरी प्लांटेशन के अंतर्गत क्षेत्र	लाख हैक्.	2.38	2.42	2.53	2.63
3	देश में कुल कच्ची रेशम का उत्पादन	मीट्रिक टन	33770 (#)	34903	36582	18343*
4	बिवोल्टाइन कच्ची रेशम का उत्पादन	मीट्रिक टन	6783 (#)	7941	8904	4343*
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन	मीट्रिक टन	7465 (#)	7936	7953	4544*
6	रोजगार सृजन	लाख व्यक्ति	87.3 (#)	87.8	92.1	--
7	बीज उत्पादन (मलबरी, तसर, मूगा और एरी)	लाख संख्या	416.255 (#)	389.9	398.99	248.89
8	सदस्यों का नामांकन प्राधिकृत उपयोगकर्ता	संख्या	1103	360	399	271
9	सिल्क मार्क लेबल वितरण	लाख संख्या	103.97	30.42	40.27	21.01

(#)- डाटा वर्ष 2020-21 को समाप्त रेशम समग्र योजना से संबंधित है
(*)-सितंबर-2023 तक का डाटा

वित्तीय (करोड़ रुपये में)

सिल्क समग्र (2017-21)		सिल्क समग्र-2					
		2021-22		2022-23		2023-24	
आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (अक्टूबर-23 तक)
2619.46	2576.76	875.00	854.10	875.00	875.00	917.77	418.12

****